कार्यालय कलेक्टर, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

–: निविदा सूचना :–

कमांक / 478/ मबावि / भंडार / 2013–14 नारायणपुर, दिनांक 8/ 01 / 2014

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन वर्ष 2013–14 में जिले के अधीन एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 372 आ.बा. केन्द्रों एवं 145 मिनी आं.बा. केन्द्रों के लिए **प्री–स्कूल किट** की सामग्री क्रय की जाने हेतु इच्छुक / पात्र फर्मों से दरें आमंत्रित की जाती है ।

इच्छुक प्रदायकर्ता को **दिनांक 29.01.2014** को **अपरान्ह 04:00 बजे** तक निविदा सील बन्द लिफाफे में कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) के कार्यालय में रखी सील बन्द पेटी में डालना होगा । निविदा **दिनांक 30.01.2014 सायं 04:00 बजे** क्रय समिति के द्वारा खोली जावेगी ।

प्री–स्कूल किट प्रदाय संबंधी नियम, शर्ते, सामग्री सूची मय स्पेसिफिकेशन के एवम् धरोहर राशि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने हेतु रूपये 500 / –रू0 विभागीय मद "0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–2– विविध आय" में जमा करके चालान की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय से कार्यालयीन समय में **दिनांक 29.01.2014** को **दोपहर 2:00 बजे** तक निविदा (टेन्डर) फार्म प्राप्त किया जा सकता है ।

निविदा की विस्तृत शर्ते व जानकारिया वेबसाइट WWW.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला–नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक/ 479 /मबावि/भंडार/2013–14 नारायणपुर दिनांक 8 /01/2014

–: निविदा :–

जिला–नारायणपुर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचाालित 372 आं.बा केन्द्रों एवं 145 मिनी आं.बा. केन्द्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्न सूची के मान से सामग्री क्रय (**प्री–स्कूल किट**) हेतु दरे आमंत्रित है, इसके लिए इच्छुक प्रदायकर्ता सील बन्द निविदा तीन पृथक लिफाफों में सेम्पल सहित **दिनांक 29.01.2014** को **अपरान्ह 3:00 बजे** तक कार्यालय जिलाध्यक्ष, (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला–नारायणपुर में प्रस्तुत कर सकते है ।

निविदा की शर्तें :–

1. अमानती राशि (अरनेस्टमनी) मुख्य आंगनबाडी हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का **राशि 18600/–रू0 (राशि अठारह हजार छः सौ रूपये मात्र)** एवं मिनी आंगनबांडी हेतु **10875/–रू0 (राशि दस हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये मात्र)** का **केवल डिमांड ड्राफ्ट** जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–नारायणपुर को देय होगा ।
2. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदा दाता द्वारा किया जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा पिछले 2 वर्षो में से किसी एक वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदा में दरें समस्त टैक्स सहित एवं एफ.ओ.आर. नारायणपुर जिलें के सेंट्रल गोडाउन जिला–नारायणपुरहेतु होगी।
5. दरें स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति न होने पर अमानत राशि जप्त की जावेगी।
6. निविदा प्रस्तुत करते समय सामग्री का नमूना देना अनिवार्य है । नमूने पर फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के पूरे हस्ताक्षर व फर्म की सील (रबर स्टेम्प) अंकित होना अनिवार्य है।
7. क्रय की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को होगा ।
8. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 50/– रूपये नानजुडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना अनिवार्य होगा ।
9. निविदा सामग्री संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर जिला–नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा ।
10. निविदादाता की फर्म का सेल्स टेक्स/टीन नम्बर **अनिवार्य है** । जिसका दस्तावेज निविदा फार्म के साथ जमा करना होगा । जिसमें प्रदाय करने वाली सामग्री का उल्लेख हों ।
11. निविदा **दिनांक 30.01.2014** को कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में **04:00 बजे** क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी ।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र नारायणपुर, जिला–जिला–नारायणपुर होगा ।
13. आंगनबाड़ी केन्द्र के **प्री स्कूल किट** के लिये प्रति केन्द्र 1000 रू0 एवं प्रति मिनी आं.बा. केन्द्र 1500 रूपये निर्धारित है । निर्धारित व्यय सीमा से अधिक की दर मान्य नहीं होगी ।
14. आगंनबाड़ी केन्द्रों के लिये **प्री–स्कूल किट** में **परिशिष्ट "अ"** एवं मिनी आं.बा. केन्द्रों के लिए **परिशिष्ट "ब"** अनुसार सामग्री प्रदाय की जानी है । संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्री–स्कूल किट सामग्रियों का क्रय किया जावेगा । सूची से पृथक सामग्री का क्रय नहीं किया जावेगा ।

15. यदि किसी फर्म द्वारा सूची में दर्शित सभी सामग्री निविदा में फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल में नहीं पायी जाती हैं तो उस फर्म की निविदा अमान्य कर दी जावेगी । इस संदर्भ में किसी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगीं ।
16. निविदा तीन लिफाफे "अ" "ब" एवं "स" में प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे **"अ"** में अमानती राशि संबंधी ड्राफ्ट, **"ब"** में आवश्यक दस्तावेज तथा **"स"** लिफाफे में दर प्राप्त की जायेगी । सर्व प्रथम लिफाफा "अ" खोला जायेगा जिसमें अमानत राशि होगी यह शर्ते पूरी करने पर लिफाफा "ब" आवश्यक दस्तावेज संबंधी लिफाफा खोला जावेगा यह शर्ते पूरी करने पर दर संबंधी लिफाफा "स" खोला जावेगा । प्रत्येक सामाग्री की दरे पृथक – पृथक मान्य होगी।
17. रूपये 500/– शीर्ष 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अन्य प्राप्तियां मद में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
18. किसी भी निविदा को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा । जिन फर्मो की निविदा अस्वीकार की जावेगी उन्हें पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।
19. प्रदायित सामग्री का जिला कय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा । सत्यापन उपरांत सभी सामग्रियां सही पाए जाने पर ही भुगतान किया जावेगा ।
20. सामग्री कार्यालय तक पहुचाने के दौरान सामग्री को यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो फर्म को 3 दिवस के अंदर सामग्री स्पेशीफिकेशन अनुसार बदलकर कार्यालय में देनी होगी ।
21. निर्धारित समयावधि में सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी व प्रस्तुत अमानती राशि राजसात कर ली जावेगी ।
22. कय की जाने वाली सामग्री टाक्सिक एवं धारदार नहीं होनी चाहिए तथा सामग्री बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित हो । इस संबंध में गुणवत्ता परीक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जावे ।
23. राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार वर्तमान में प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 1000 रूपये एवं मिनी आं.बा. केन्द्रों के लिए 1500 रूपये की सीमा तय की गई है । वित्त विभाग के निर्देशानुसार 45 प्रतिशत राशि अर्थात 450 रूपये आं.बा./मिनी आं.बा केन्द्रों के लिए मात्र प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र के मान से विमुक्त किए गए हैं । शासन से शेष राशि प्राप्त होने पर तद्नुसार भुगतान किया जावेगा ।
24. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आमंत्रित है । अतः सफल निविदाकारों की अमानत राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही जारी की जावेगी ।
25. मुख्य आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रो हेतु (दोनो मे से) आमंत्रित निविदा की न्युन्तम दर को मान्य किया जायेगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला–नारायणपुर

पृ0क्रमांक/ 480/मबावि/भंडार/2014 नारायणपुर, दिनांक 8/01/2014

प्रतिलिपि :–

1. मेसर्स.....
   .....
   .....
2. नोटिस बोर्ड हेतु ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला–नारायणपुर

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली

प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियाँ

परिशिष्ट "अ"

1. वर्ष 2013–14 में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल किट अंतनर्गत निर्धारित सामग्रियों की सूची :–

क0	समग्री का नाम	मात्रा	सामग्री का विवरण
1	केरम बोर्ड	01	
2	डॉट गेम	01	
3	स्कीपिंग रोप	03	
4	बकेट बाल	02	
5	साफ्ट स्माईली बाल	06	
6	कलर चाक	1 डिब्बा	

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला–नारायणपुर

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली

प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियाँ

परिशिष्ट ''ब''

1. वर्ष 2013–14 में प्रत्येक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल किट अंतनर्गत निर्धारित सामग्रियों की सूची :–

क0	समग्री का नाम	मात्रा	सामग्री का विवरण
1	सन बोर्ड में ड्राइंग हेतु चित्र एवं केयांस या कलर पेन्सिल –05 नग ।	5	
2	पजल सेट (लकडी का)	1 सेट	
3	कट आउटस (सन बोर्ड शरीर के अंग जानवर, पक्षी, फल, सब्जी इत्यादि)	1 सेट	
4	केरम बोर्ड – 01 नग	1	
5	डॉट गेम – 01 नग	1	
6	बकेट बाल – 02 नग	2	
7	बालिंग ऐले – 03 नग	3	
8	कलर चाक एक डिब्बा	1	

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला–नारायणपुर